

प्रेमक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बैसिक)
उत्तर प्रदेश।

विद्या अनुभाग-6


जस.सं.दिनांक 08 मई, 2013

विषय: अशासकीय परसरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

प्रतीपद्य,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-23/19-3-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपके यह कहने का निदेश हुआ है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं अनुसूचक में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्ध विद्यारोपनात् पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय परसरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान दिये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस आदेश के निर्वृत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को 2013 निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु कक्षाएं कक्षा स्तरों में तथा सयान प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार परसरी की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त पूरा प्रकार का विद्यालय निरीक्षण से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) विद्यालयों में निम्न अनुसूचक मानक के अनुसार स्थापित कक्षाएं मान्यता प्राप्त होंगी।



(4) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।

(5) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवनों की जलबूती के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा समय-समय पर समीक्षा के अन्तर्गत भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण-पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप विद्यालय भवन की गुणवत्ता के संबंध में लोक निर्माण विभाग, तिंदाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर.ई.एस. के जिस अभियन्ता द्वारा निर्माण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत् है :-

1. ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित भवन-अवर अभियन्ता
2. एक से अधिक मंजिल के विद्यालय -र.हायड अभियन्ता

निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण जलबूती है और भवन में घूप व ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्षा-कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त हैं।

एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की दीवारों को विकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही हों, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार बनायी गयी हो ताकि आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

(6) विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निशुल्क प्रशिक्षित किया जाय ताकि आपदा लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।

(7) चर्चरी/प्राथमिक (गार्डनरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले स्वयंसेवक अरुहायतित विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(8) पूर्व से सम्बन्धित प्रा. विद्यालयों के संदर्भ में आदेश एवं बातें :-

यदि विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकांश अभियन्ता 2009 के अधिनियम में निर्मित 30प्रॉ निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधायक-2011 लागू होने के पूर्व से संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सुरक्षा सम्बन्धित जिला वैशिक शिक्षा अधिकारियों के तीन माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी तथा कि-निर्दिष्ट मानकों को पूरा करने की अनिवार्यता होगी :-

- (क) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
- (ख) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
- (ग) भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्ववर्ण समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्रतिष्ठा के लिए प्राविधानित जमातियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (घ) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा के सम्बन्धित कार्यों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- (ङ) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा धार्मिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- (च) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (छ) विद्यालय का खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उससे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (ज) बेसिक शिक्षा विभाग के जमापदीर/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनाएँ निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा पुनिश्चित किया जायेगा।
- (झ) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित मानक/शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है, उन विद्यालयों का सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 माह के अन्दर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
- (ञ) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि के 60 दिन के अन्दर जिन विद्यालयों द्वारा शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके संदर्भ में इस आदेश का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा। विकसित मानकों में शिक्षा निदेशक (बी0) का आदेश प्राप्त कर कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों को सूची भी तैयार की जायेगी, जो मान्यता की निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। ऐसे विद्यालयों को कर्मियों के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा विद्यालयवार कर्मियों का विवरण वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा। कर्मियों का विवरण निर्धारित अवधि में सम्बन्धित प्रबन्धनत्र 02 द्वारा आवश्यक रूप से कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो 2020 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू होने की तिथि से 03 वर्ष के उपरान्त इस प्रकार के विद्यालयों के संवाहन पर रोक लगायी जा सकती है, और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही भी की जायेगी।

(8) समिति :-

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता हेतु समिति स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी जो निम्नवत् होगी :-

- | | |
|---|---------|
| 1- सम्बन्धित सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) | अध्यक्ष |
| 2- सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सचिव |
| 3- संलग्नक का वरिष्ठतम् खण्ड शिक्षा अधिकारी | सदस्य |

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता हेतु विद्यालय से प्राप्त सूचना एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त प्रपत्र मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) पर विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

(9) न्यायकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर प्राइमरी) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिने जाने सम्बन्धी संशोधित आक एवं शर्तें-

आवेदन की शर्तें

शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा किसी विधि मान्य संजीवित सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं :-

- (1) प्री-प्राइमरी एवं प्राइमरी स्तर (प्राइमरी स्तर के पूर्व का दो कक्षाएँ तथा कक्षा-1 से 5 तक की कक्षाएँ)।
- (2) प्राइमरी स्तर (कक्षा-1 से 5 तक)।
- (3) प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व को दो कक्षाएँ तथा कक्षा-1 से 8 तक की कक्षाएँ)।

(10) मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिने जाने की प्रक्रिया :-

(1) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ यथा निर्धारित शुल्क (सि. डा. डा. के रूप में जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से, जिनसे सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के संगत वेबसाईट पर राजकोष में आदान द्वारा जमा किया जायेगा)।

निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-1) प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रस्तर-4 के बिन्दु (1) व (2) पर अंकित शर्तों की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क ₹0 2000/- तथा क्रमांक-3 पर अंकित प्रस्तर की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क ₹0 3000/-- सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखाधीनक में जमा कराया जायेगा।

(3)- विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में ₹0 10000/- (₹0 दस हजार मात्र) की एगोएस0सी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से खोला जायेगा।

(4)- आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी जांच/निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा इस विषय से संबंधित विद्यालयों को भी सूचित किया जायेगा। निरीक्षण हेतु जो अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने जायेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य/प्रतिनिधि उपस्थित हों, जिससे स्थानीय जनता को जानकारी हो सके कि विद्यालय का स्थानीय निरीक्षण वास्तव में किया गया है। निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों में जो कमियाँ पायी जायें, उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिनों के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धक को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। विद्यालय की अभावितियाँ सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर प्रबन्धक को स्वप्रामाणित धारण निवारण आख्या (तीन प्रतिशत में) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राप्त आख्या का परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्तुति मान्यता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(6) निरीक्षण शर्तें

मान्यता की उपर्युक्त शर्तों से अतिरिक्त एक मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा।

(क) विद्यालय का संदान ₹0 20000/- भूख की धनराशि का होगा। वह संदान अनिवार्य रूप से राज्य सरकार के खाते में जमा कराया जा सकता है तथा :-

- (1) भूख धनराशि।
- (2) सरकारी जमानत।
- (3) जमानत संपत्ति।

दिशान्यास :-

यदि संदान भूख धनराशि जमानत सरकारी जमानत के रूप में हो तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जमानत प्रदत्त होता चाहिए। जमानत संपत्ति

के विषय में प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी को जिसे संस्था की ओर से सम्पत्ति के बेचने तथा तदर्थ विधि-पत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सक्षम अधिकारियों की लिखित आज्ञा के बिना स्थानान्तरित नहीं की जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र भी लिया जायेगा। अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन और उससे होने वाली आय का प्रमाण-पत्र किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो तहसीलवार से कम स्तर का न हो। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका के एक्जीक्यूटिव आफिसर अथवा उप नगर अधिकारी का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जायेगा।

संस्थान द्वारा ₹० 5000/- की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा। राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी बोर्ड अथवा फौजी आर्थिक फेडरेशियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को सदान और स्थाई कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु ऐसी किसी संस्था को संचालित करने के लिए सदन अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवस्यक और सम्बन्धित व्यय के लिए आवश्यक प्राविधान होना चाहिए।

(7) कार्यवाही

कार्यवाही - (1) विद्यालय की गान्यता तभी प्रदान की जायेगी जब विद्यालय के कैम्पेस एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या निम्नलिखित होना अपेक्षित है :-

(क) प्री-प्राइमरी तथा प्राइमरी	200 (07 कक्षाएँ)
(ख) प्राइमरी	150 (05 कक्षाएँ)
(ग) प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल	270 (10 कक्षाएँ)
(घ) प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल	225 (08 कक्षाएँ)

प्रदेश के शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों एवं आजीवन अंधलों में विद्यालयों की न्यूनतम छात्र संख्या के बीच परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट की जायेगी।

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन०सी०ई०आर०डी०/एन०सी०ई०आर०डी० द्वारा निर्धारित अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाय। गान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य मध्यम की पुस्तक का पठन आठन न कराया जाय और किसी विशेष प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन के लिए छात्रों पर इकाय न चलाया जाय न ही वे कान पुस्तिकाओं पर निवारण का नाम बुद्धित करवाकर प्रयत्न हेतु बाध्य किया जाय, अन्वया ऐसे विद्यालयों की गान्यता प्रत्यागित कर ली जायेगी।

100/

(8) शौचिक संसाधन

(1) भवन

- (क) विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामा परीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।
- (ख) मान्यता के लिये प्राथमिक/जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षाकक्ष में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परंतु कक्षा कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक कक्षा कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे बच्चों कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों सुविधापूर्ण ढंग से सम्पादित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्रों को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।
- (ग) प्रयागाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग अलग कक्षा उपलब्ध होना चाहिए।
- (घ) छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक पृथक भूनालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (ङ) विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (च) विद्यालय भवन का बाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ग में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(2) क्रीड़ा स्थल

खेलकूद के लिये यथा संभव विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप क्रीड़ा क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए जहाँ कबड्डी, बालीबॉल, बैजिनिंग, बास्केट बॉल, स्को-खो आदि जैसे खेलों हेतु निर्धारित स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्रों कर सकते हों।

टिप्पणी :-

संलग्न विद्यालयों के लिए क्रीड़ा स्थल की जूट दी जा सकती है। इसी प्रकार घनी आबादी वाले क्षेत्र में बालकों के विद्यालयों में जहाँ स्थानाभाव हो, क्रीड़ा स्थल की जूट दी जा सकती है। क्रीड़ा स्थल के अभाव में किसी विद्यालय को मान्यता से संबंधित नहीं किया जा सकता है।

(3) साज-सज्जा एवं उपकरण

विद्यालय में छात्र/छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार बैठने के लिए उपयुक्त आकार की कुर्सी, स्टूल, बेंच, मेजें तथा अध्यापकों के लिए कुर्सी, मेज उपलब्ध होने चाहिए।

(4) पुस्तकालय

प्राथमिक विद्यालयों कक्षा-5 के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषय की कक्षा-5 तक की पुस्तकें तथा जूनियर स्तर के विद्यालयों में कक्षा-8 तक की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद प्रस्तारों तथा पत्र-पत्रिकाओं की भी व्यवस्था की जा सकती है।

(5) विज्ञान सामग्री

विद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

(6) शिक्षण सामग्री

प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध होने चाहिए।

(9) मानव संसाधन

स्टाफ देवताभवन, रोवा शर्ते

(क) प्रौ. प्राध्यापी से कक्षा-8 तक के शिक्षण के लिए उ0प्र0 नियुक्त और अनिर्धार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-8 के प्रस्तार-10 में उदरत व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जावेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्षा हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध लेना चाहिए।

(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकीदार, आथा एवं सफाई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति प्राय की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणोत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक लेना आवश्यक है।

(ग) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा विनियमनी बनाकर प्रस्तुत की जावेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिलोकाकाल, स्थाईकरण तथा दरु के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि समता प्राकथा का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

रोवा विद्यालयों में अवकाश, पेंशन, प्रेडुनी, बीमा, पीछेफण तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

प्रबन्धाधिकरण के सहम करीवारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्रभा अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षणोत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारी) के मध्य विधि मान्य सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

शुल्क

मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है :-

- 1- शिक्षण शुल्क, 2- महंगाई शुल्क, 3- विकास शुल्क, 4- बिजली पानी आदि, 5- पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6- विज्ञान शुल्क, 7- श्रव्य शुल्क, 8- क्रीडा शुल्क, 9- परीक्षा/भूल्यांकन, 10-विद्यालय समारोह/उत्सव, 11- विशेष विषयों की शिक्षा- कम्प्यूटर / संगीत आदि।

नोट :-

- 1- पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैंपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा।
- 2- मान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलाभित समूह के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, परन्तु यह प्रतिबन्ध असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।
- 3- विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-15 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

(iv) शैक्षिक चक्र प्रारंभ के लिये मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय आरेखी :-

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/सहायक प्राधिकाारी द्वारा संतान प्रारूप-1 के अनुसार स्वरोषणा-सहआवेदन पत्र जो सम्बन्धित जमपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में भूरे ले जखित हैं, उन आवेदन पत्रों पर सन्वयक रूप से दिनांक 30 जून, 2018 तक पवीन मान्यता निदयक शर्तों के आलोक में मान्यता के संबंध में मान्यता समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

नोट - जिन आवेदित विद्यालयों द्वारा उदत नियमित माइल लाइस का प्रदान नहीं किया हो, उनके आवेदन पर आगामी शैक्षिक चक्रों की मान्यता हेतु

कमियों को पूरा किये जाने के उपरान्त मान्यता समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(11) शैक्षिक सत्र 2014-15 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों के लिए मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में समय सारिणी:-

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में प्राप्त कराया जायेगा तथा मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण समय-सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार किया जायेगा:-

1.	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना।	01 जुलाई से 31 अगस्त
2.	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के बारे में सर्व साधारण को जानकारी दिया जाना।	सितम्बर प्रथम सप्ताह
3.	आवेदन करने वाले विद्यालय का निरीक्षण	15 सितम्बर से 31 अक्टूबर
4.	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था को कमी/शर्तें पूरी करने हेतु सूचित किया जाना।	नवम्बर से दिसम्बर
5.	आवेदन कर्ताओं के प्रत्यावेदन स्वीकार करना।	जनवरी-फरवरी
6.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत शिक्षाधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र की संस्तुति पर मान्यता समिति द्वारा निर्णय लेना।	मार्च
7.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आदेश जारी करना।	31 मई तक

नोट:- मान्यता समिति की बैठकें वर्ष में दो बार नवम्बर एवं मार्च में आहूत की जायेंगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को नवम्बर माह में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति मान्यता आदेश दिसम्बर में निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों को कमियों को पूरा कराकर मार्च में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर 31 मई तक मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(अ) मान्यता हेतु कार्य की प्रक्रिया :-

शैक्षिक सत्र 2014-15 से मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया आम जाईस प्रो. के द्वाराके सम्बन्ध में वेब साइट का पता तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत शिक्षा विभाग सूचना से निर्गत किये जायेंगे।

(ब) विद्यालय की मान्यता का प्रत्याकरण :-

जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर अनिश्चित कार्यों को संतुष्ट हैं कि मान्यता प्रदा

किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तो उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (क)- विद्यालय की मान्यता की जिस शर्त का उल्लंघन किया गया है उसे स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए विद्यालय को एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा।
- (ख)- निर्धारित अवधि में यदि विद्यालय प्रबन्धतंत्र से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी 15 दिन की अवधि में एक त्रिस्तरीय समिति, जिसमें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ एक शिक्षाविद भी सम्मिलित होगा, के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण तिथि के एक माह (01) की अवधि में सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।
- (ग) समिति की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय को पत्र भेजकर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में 45 दिन के अंदर मान्यता समिति का निर्णय प्राप्त कर लेंगे।
- (घ) मान्यता समिति के निर्णय प्राप्ति के 07 दिन के अंदर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का मुखरित आदेश (speaking order) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मान्यता रद्द होने का आदेश सत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को भर्णांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण को जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

2018

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
21/5/13
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे०), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

2013/

आज्ञा से,
(सुनीता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असाहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

४४२।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट

प्रारूप-1

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वःघोषण-सह-आवेदन
(नियम-15 का उपनियम (1) देखिए)

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,

(जिला और संघ राज्यक्षेत्र का नाम)

महोदय,

मैं एतद्वारा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्धियों और मानकों के अनुपालन के संबंध में एक स्वःघोषण और..... (विद्यालय का नाम) को..... वर्ष 20..... विद्यालय के प्रारंभ से मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्रारूप में एक आवेदन-संश्लेषण करता हूँ।

आपका विश्वसनीय

हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

7.	क्या विद्यालय के भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थलों का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोग के लिए किया जा रहा है	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र	

घ. नामांकन प्रारंभिक			
	वर्ष	सेक्शन की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1.	पूर्व-प्राथमिक		
2.	1 से 5		
3.	6 से 8		

ङ. अवसंरचना के ब्यौरे और स्वच्छता संबंधी दृशाएं			
	वर्ष	संख्या	औसत आकार
1.	कक्षा		
2.	कार्यालय कक्षा-सह-मंडार कक्षा-सह-प्राध्यापक कक्षा		
3.	रसोई-सह-बैडर		

च. अन्य प्रसुविधाएं		
1.	क्या सभी प्रसुविधाओं तक वाधारहित पहुंच प्राप्त है	
2.	अध्यापन पठन सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	खेलकूद और क्रीड़ा उपकरण (सूची संलग्न करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा • पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या) • पत्रिकाएं/समाचार-पत्र	
5.	पेयजल सुविधाओं की किस्म और संख्या	
6.	स्वच्छता संबंधी दृशाएं (i) डब्ल्यू सी और बुनालियों की किस्म (ii) बालकों के लिए पृथक् मूत्रालय/शौच गृहों की संख्या (iii) महिलाओं के लिए पृथक् मूत्रालय/शौच गृहों की संख्या	

ज. शिष्याओं के पालक/पिता की विशेषाधिकार			
1.	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तिथि (3)
	शैक्षिक आकांक्षा (4)	वृत्तिक व्यवस्था (5)	अध्ययन संबंधी आकांक्षा (6)
	सभी बड़े कक्षा (7)	नियुक्ति का कारण (8)	शिक्षित या अशिक्षित (9)
2. प्रशासक और अध्यापक दोनों का नाम, (प्रत्येक अध्यापक के द्वारा पुनः पूरा करें)			

1

प्रकरण 2

ग्राम
ई-मेल

फोन
फैक्स

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय
(जिला/संघ, राज्यक्षेत्र का नाम)

संख्यांक

तारीख

प्रबंधक

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए प्राथमिक प्रमाणपत्र।

पहोदय/पहोदया,

आपके तारीख के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पर्याप्तवर्ती प्रमाणपत्र/निरीक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत, मैं (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख से तारीख तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा से कक्षा तक के लिए अनिवार्य मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:

1. मान्यता, जो अनिवार्य नहीं है और उपरोक्त निम्नलिखित शर्तों के पश्चात प्राप्त/संबंधित करने के लिए कोई वाध्यात्मिक विधान के अंतर्गत है।
 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संख्या 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (संख्या 2) के उपनियम का पालन करेगा।
 3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नरेंद्र कक्षा में), सत्र के आरंभ की तारीख के अंतर्गत और आरंभ के तुरंत बाद ही प्रारंभिक विद्यालय प्रवेश के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक विद्यालय प्रवेश प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
 4. विद्यालय प्रवेश प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रवेश के बालकों को प्रवेश प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
 5. जो साक्षी/विद्यार्थी, किसी भी विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रवेश प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
 6. विद्यालय प्रवेश प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रवेश के बालकों को प्रवेश प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में पर्याप्त प्राथमिक विद्यालय प्रवेश प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
- (ii) किसी भी बालक को तारीखिक रेंड का प्रमाणपत्र, उपरोक्त के प्राथमिक नहीं किया जाएगा।

- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकतम किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ;
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शुल्कता, अल्प/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ;
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकतम न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ; और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित प्राध्यापकों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 49 में यथाविधि विद्यालयों के प्रान्तों और संविधानों की बजाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई अप्रवृत्तियों निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

- कुल निर्मित क्षेत्र
- क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल
- कक्षाओं की संख्या
- प्राध्यापक सह-कार्यालय-सह-माड्यार के लिए कक्ष
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक सहायक
- पेयजल सुविधा
- विद्युत्-बोज प्रदान के लिए स्लॉट
- समाप्त

- 10. विद्यालयों में जो बच्चे अक्षरों या अक्षरों के प्रयोग के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वे भी अक्षरों के प्रयोग के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।
- 11. विद्यालयों में जो बच्चे अक्षरों या अक्षरों के प्रयोग के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वे भी अक्षरों के प्रयोग के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।
- 12. विद्यालयों में जो बच्चे अक्षरों या अक्षरों के प्रयोग के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वे भी अक्षरों के प्रयोग के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

14. आपके विद्यालय को अर्बिट्रल मान्यता कोड संख्याक है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएंगे।

16. साइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. सतत न्यायसंगत संपादन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

